भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4104 का उत्तर

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विलय

4104. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संसद को बार-बार सूचित किया है कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) का भारतीय रेल में विलय राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी हिस्सेदारी छोड़ने के बाद ही संभव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने कोंकण रेल निगम लिमिटेड (केआरसीएल) में अपनी इक्विटी छोड़ने के लिए एक निकास तंत्र की मांग करते हुए कई पत्र लिखे हैं और यदि हां, तो उन अनुत्तरित पत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उत्तर न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार से भी इसी प्रकार का निकास अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उत्तर भेजने सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोंकण रेल निगम लिमिटेड के तीसरे वित्तीय पुनर्गठन में कोंकण रेललाइन के दोहरीकरण के लिए समर्पित निधियां शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार चार प्रतिभागी राज्यों में से तीन के केआरसीएल से बाहर निकलने या उससे बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त करने को ध्यान में रखते हुए कोंकण रेलवे का भारतीय रेल में विलय शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) की स्थापना वर्ष 1990 में मुंबई से मंगलूरु को जोड़ने वाले रोहा (महाराष्ट्र) से ठोकुर (कर्नाटक) तक पश्चिमी पत्तन के साथ 739 कि.मी. लाइन के निर्माण के लिए पांच शेयरधारकों अर्थात् रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार, कर्नाटक सरकार और केरल सरकार के साथ की गई थी। केआरसीएल की वर्तमान शेयरधारिता संरचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता % में
1	रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार	66.79
2	महाराष्ट्र सरकार	14.91
3	कर्नाटक सरकार	10.17
4	गोवा सरकार	4.07
5	केरल सरकार	4.07

केआरसीएल की अवसंरचना लगभग 30 साल पुरानी हो गई है, इसलिए संरक्षा सुनिश्चित करने और क्षमता संवर्धन के लिए भी सुरंगों के पुनरुद्धार सहित परिसंपत्तियों के नवीनीकरण/पुनर्स्थापन की ओर पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

इन वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, रेल मंत्रालय द्वारा सभी शेयरधारक राज्य सरकारों से या तो उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अपेक्षित पूंजीगत व्यय में योगदान करने या रेल मंत्रालय के पक्ष में अपनी स्वामित्व हिस्सेदारी छोड़ने के लिए संपर्क किया गया था।

इसके प्रत्युत्तर में, रेल मंत्रालय को केवल गोवा सरकार ने अपनी शेयरधारिता हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की थी।

महाराष्ट्र सरकार ने अपने हिस्से की पूंजी के योगदान की प्रतिपूर्ति की मांग की है और कर्नाटक सरकार ने इस करार से बाहर निकलने के विभिन्न विकल्पों के संबंध में अनुरोध किया है।

बहरहाल, केआरसीएल का भारतीय रेल के साथ विलय/एकीकरण, भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा धारित स्वामित्व हिस्सेदारी को छोड़ने/हस्तांतरण के माध्यम से केआरसीएल के 100% केंद्रीय सरकार स्वामित्व वाली इकाई बनने के अध्यधीन है। ऐसे त्याग/हस्तांतरण का निपटान शेयरधारिता करार के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जो निगम की सभी देनदारियों के निर्वहन की तारीख तक वैध रहेगा और अपेक्षित कॉर्पोरेट, कानूनी, प्रशासनिक और अन्य प्रयोज्य अनुमोदनों के अध्यधीन होगा।

कोंकण रेलवे के क्षेत्राधिकार के 739-मार्ग कि.मी. में से रोहा-वीर और मडगांव-माजोर्डा रेलखंड के बीच लगभग 55 कि.मी. के दोहरीकरण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। मार्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए चिह्नित खंडों (263 कि.मी.) के दोहरीकरण के लिए व्यवहार्यता सर्वेक्षण की तैयारी का कार्य स्वीकृत किया गया है।

केआरसीएल के तीसरे वित्तीय पुनःसंरचना में पूंजीगत पुनःसंरचना और संरक्षा, क्षमता संवर्धन, परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन और यात्री सुविधाओं से संबंधित पूंजीगत व्यय संबंधी कार्य शामिल है।
